

29/5/19

वादी एवं वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। इन्हे अदालत के  
तक कई बार आवाजे लगाए गए परन्तु उनकी शरित  
कोई अदालत उपस्थित नहीं आया।

अतः प्रकरण वादी एवं वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित  
रहने से आज, एजिरी आजम देवकी के शारिफु विद्या  
जगता है। जिसल जिसल सुमार लेकर नजर से कम  
हो। वाद दफतर दाखिल हो।

अदिल आज खुले-चायालय के सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
बसुदा (अजमेर) राज.

